भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 378 का उत्तर

आईआरसीटीसी द्वारा आवंटित संकुलों के ठेके

***378. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईआरसीटीसी द्वारा आवंटित संकुलों के ठेकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई सभी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त शिकायतों का संज्ञान लिया है;
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए प्राधिकारियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ड) आईआरसीटीसी द्वारा संकुल 'ए' के महत्वपूर्ण ठेकों के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(च) क्या आईआरसीटीसी द्वारा संकुल 'ए' के महत्वपूर्ण ठेके केवल एक ही परिवार को आवंटित किए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(छ) क्या इस संबंध में न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित है और यदि हां, तो वह कब से लंबित है; और
(ज) उक्त मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 26.03.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 378 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ज): भारतीय रेल नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 16 लाख यात्रियों को भोजन परोसा जाता है। भारतीय रेल का प्रयास है कि यात्रियों को इतनी बड़ी मात्रा में भोजन की सुचारू और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा, यात्रियों को दी जाने वाली समग्र सेवाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अपेक्षित उपाय किए जाते हैं।

रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने 2023 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24 के अंतर्गत अनुदेश जारी किए थे। इन अनुदेशों में रेलगाड़ियों में केवल निर्दिष्ट बेस किचनों से भोजन की आपूर्ति करना, सेवा स्थानों के साथ रेलगाड़ियों की मैपिंग और बेस किचन शुरू करने के लिए चिह्नित स्थानों के साथ रेलगाड़ियों के मार्ग-वार क्लस्टर बनाने, पर्याप्त संभार तंत्र की व्यवस्था करना, सेवा अवसंरचना का निर्माण और प्रशिक्षित जनशक्ति की तैनाती का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी रेलगाड़ी के स्थान पर रेलगाड़ियों के क्लस्टरों के लिए ठेके जारी करने की परिकल्पना की गई है। अवसंरचना के विकास और रेलगाड़ी में भोजन तैयार करने और सेवाओं की आद्योपांत जवाबदेही तय करने पर बल दिया गया है।

तदनुसार, यथा अधिदेशित, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत रेलगाड़ियों के इन क्लस्टरों की निविदा का कार्य शुरू किया है। उच्चतम बोलीदाताओं को दो पैकेट ई-ओपन निविदाओं के माध्यम से ठेके जारी किए गए हैं, जो उपर्युक्त उल्लिखित वाणिज्यिक परिपत्र में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निविदा की यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईआरसीटीसी ने 168 क्लस्टरों के ठेके जारी किए हैं, जिनके लिए कुल 653 बोलियां प्राप्त हुईं। ये क्लस्टर दो समूहों में हैं अर्थात् 'क्लस्टर ए', जिसमें प्रीमियम प्रीपेड रेलगाड़ियां और पैंट्री कार वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शामिल हैं और 'क्लस्टर बी', जिसमें पैंट्री कार वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं।

निर्धारित बेस किचन रेलगाड़ियों को भोजन की आपूर्ति करने का एकल बिंदु स्रोत हैं। ये बेस किचन मानकीकृत रसोई उपकरणों से सुसज्जित हैं। ये बेस किचन उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री, पैकेजिंग सामग्री और उचित वस्तु-सूची प्रबंधन का स्रोत सुनिश्चित करते हैं। 15.03.2025 की स्थिति के अनुसार, देशभर में कुल 717 बेस किचन स्थापित किए गए हैं।

क्लस्टर आधारित निविदा प्रक्रिया के विरूद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 17 सिविल मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 मामले भारतीय रेल/आईआरसीटीसी के पक्ष में खारिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3 मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं।

इस संबंध में, रेलवे द्वारा विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, खानपान संघों, व्यक्तियों आदि से अभ्यावेदन, सुझाव, परिवाद, शिकायतों आदि की प्राप्ति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। इन मामलों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है और तदनुसार, अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

*****